

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

विषय :— जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-25 (धारा-14) एवं झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमवाली, 2007 के नियम-12 (13) के आलोक में गठित झारखण्ड जैव विविधता पर्वद की स्थापना के लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

रियो डि जेनेरो में 5 जून 1992 को जैव विविधता पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (Convention on Biological Diversity) का आयोजन किया गया जिसमें भारत भी एक पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरी है और जैव विविधता से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में शामिल है। विश्व में जैव विविधता बहुल राष्ट्रों (mega biodiversity countries) में भारत ग्यारहवें स्थान पर है। उक्त कन्वेंशन ने राज्यों के अपने जैव संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि की है एवं इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का पोषणीय उपयोग और अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण (equitable) हिस्सा बंटाना है। जैव विविधता बहु विद्या-विशेष विषय है जिसके कार्य व कार्यकलाप अनेक हैं। इसके साझेदार (stakeholders) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासी निकाय, उद्योग आदि हैं। भारत की प्रमुख चुनौतियों में, जैव विविधता कन्वेंशन में प्रस्तावित साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने के लक्ष्यों को नियमबद्ध बनाना भी एक है।

2. उक्त के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, संवहनीय (sustainable) उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण किया गया है। केन्द्रीय स्तर पर जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-8 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अंतर्गत राज्य जैव विविधता पर्वद की स्थापना का प्रावधान है।
3. विभागीय अधिसूचना संख्या-6550 दिनांक-20.12.2007 द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-22 "झारखण्ड जैव विविधता बोर्ड" का गठन किया गया है। पुनः अधिसूचना संख्या-1259 दिनांक-03.03.2016 द्वारा इसे संशोधित किया गया।
4. पर्वद के मुख्य कृत्य जैविक स्रोतों के व्यापारिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जैवविविधता और उससे जुड़ी पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना, जन जैवविविधता पंजी के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र (information system) विकसित करवाना तथा लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना, शोध एवं अध्ययन करवाना, जैव विविधता विरासत स्थलों का चयन, राज्य सरकार को जैव विविधता संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने हेतु आवश्यक सलाह देना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सलाह देना, समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्कूलों/कॉलेजों एवं अन्य इकाईयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता व क्षमता वृद्धि में सहयोग करना आदि हैं।
5. जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-41 एवं झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमवाली, 2007 के नियम-20 के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के मुख्य कृत्य जन जैव विविधता पंजी का निर्माण करना है। पंजी में उनके अधिकार क्षेत्र में मिलने वाली स्थानीय

जैव संसाधनों, उनके औषधीय गुण या अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारम्परिक ज्ञान उपलब्धता के संबंध में व्यापक जानकारी का उल्लेख होगा। जन जैव विविधता पंजी विधिमान्य होंगे एवं इसका उपयोग स्थानीय जैविक संसाधनों पर स्थानीय निकाय के अधिकारों को सुरक्षित रखने, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग एवं प्रबंधन में किया जा सकेगा। पंजी निर्माण होने पर जैव संपदा के वाणिज्यिक उपयोग का नियमितिकरण एवं इससे उद्भूत लाभों का समुचित बंटवारा संभव हो सकेगा। इसके अभाव में जैविक संपदा का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। प्रबंधन समिति स्थानीय वैद्य और व्यवसायी, उद्यमी/उद्योग जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, के बारे में जानकारी एकत्रित कर झारखण्ड जैवविविधता पर्षद को सूचित करना तथा स्थानीय जैव संसाधन उपलब्धता व इससे संबंधित ज्ञान के व्यापक आकड़े रखना है। झारखण्ड जैवविविधता पर्षद या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों के संबंध में सलाह देना है।

6. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड जैव विविधता बोर्ड को सुचारु रूप से चलाने हेतु जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-25 (धारा-14) एवं झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमवाली, 2007 के नियम-12 (13) के आलोक में गठित झारखण्ड जैव विविधता पर्षद की स्थापना के लिए नए पदों का निम्न प्रकार सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान		पदों की संख्या	अभ्युक्ति (नियुक्ति का श्रोत)
		पे बैंड	ग्रेड पे		
1.	अध्यक्ष (प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर)	75500-80000/-	Nil	01	प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त पदाधिकारी भा0व0से0 का SDR कोटा
2.	सदस्य सचिव	37400-67000/- PB-IV	10000/-	01	मुख्य वन संरक्षक स्तर के कार्यरत पदाधिकारी भा0व0से0 का SDR कोटा
3.	संयुक्त निदेशक	15600-39100/- PB-III	7000/- AGP	01	By Deputation / Contract/ Outsourcing (राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में सेवारत Associate/ Assistant Professors अथवा इनके समकक्ष वैज्ञानिक योग्यता एवं अनुभव से परिपूर्ण व्यक्तियों की सेवाएँ ली जानी है।)
4.	उप निदेशक	15600-39100/- PB-III	6000/- AGP	01	By Deputation/ Contract/ Outsourcing (राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में सेवारत Assistant Professors अथवा इनके समकक्ष वैज्ञानिक योग्यता एवं अनुभव से परिपूर्ण व्यक्तियों की सेवाएँ ली जानी है।)
5.	विशेष कार्य पदाधिकारी	15600-39100/- PB-III	6600/-	01	By Deputation/ Contract/ Outsourcing (पर्षद कार्यालय के उचित प्रबंधन एवं प्रशासनिक कार्यों के नियमानुसार संपादन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार में सेवारत समकक्ष वेतनमान के पदाधिकारी की सेवाएँ ली जानी है।)
6.	लेखा पदाधिकारी	9300-34800/- + GP4800/- PB-II	30,033/-	01	By Contract/ By Deputation (एकमुश्त मासिक परिलब्धि)

सं० सं०- 4940
25/10/16

7.	MIS पदाधिकारी	9300-34800/- + GP4800/- PB-II	30,033/-	01	By Outsourcing (एकमुश्त मासिक परिलब्धि)
8.	तकनीकी पदाधिकारी	9300-34800/- + GP5400/- PB-II	31,311/-	02	By Outsourcing (एकमुश्त मासिक परिलब्धि)
9.	तकनीकी सहायक	5200-20200/- + GP 2400 PB-I	16,188/-	04	By Contract/ Outsourcing (एकमुश्त मासिक परिलब्धि)
10.	कम्प्यूटर ऑपरेटर — सह— कार्यालय सहायक	5200-20200/- + GP 1900 PB-I	15,123/-	02	By Outsourcing (एकमुश्त मासिक परिलब्धि)
11.	चालक	5200-20200/- + GP 1900, PB-I	8506/-	03	By Outsourcing (एकमुश्त मासिक परिलब्धि)
पदों की कुल संख्या			18		

- संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की नियुक्ति एवं व्यय योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी निर्गत पत्र—परिपत्र के आलोक में किया जाएगा।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर की जानेवाली नियुक्ति एवं व्यय योजना—सह—वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी निर्गत पत्र—परिपत्र के आलोक में किया जाएगा।
- प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या—660/वि० दिनांक—28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
- सृजित पदों पर होने वाला व्यय योजना मुख्यशीर्ष—2406—वानिकी तथा वन्यप्राणी उप मुख्यशीर्ष—01—वानिकी—लघुशीर्ष—796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना उपशीर्ष—53— राज्य जैव विविधता पर्वद के अनुदान के अंतर्गत भारित होगा।
- पद सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक—04.10.2016 में मद संख्या—04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
(सुखदेव सिंह)¹⁰

सरकार के प्रधान सचिव।

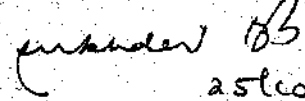
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सं.सं. 4940
25/10/16

3

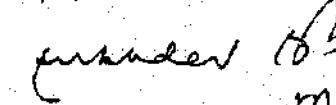
ज्ञापांक- वन्यप्राणी-03/2005 (खण्ड) 4940 / व०प०, राँची, दिनांक- 25/10/16

प्रतिलिपि-सानुलग्नक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


25/10
सरकार के प्रधान सचिव।

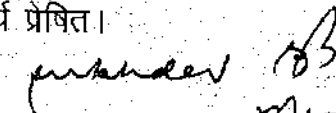
ज्ञापांक- वन्यप्राणी-03/2005 (खण्ड) 4940 / व०प०, राँची, दिनांक- 25/10/16

प्रतिलिपि-सचिव, वन महानिदेशक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज-110003 नई दिल्ली/ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 5th Floor RICE Bio Park Taramani Chennai- 600113/ सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्वद, वन भवन, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


25/10
सरकार के प्रधान सचिव।

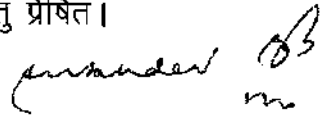
ज्ञापांक- वन्यप्राणी-03/2005 (खण्ड) 4940 / व०प०, राँची, दिनांक- 25/10/16

प्रतिलिपि-सानुलग्नक महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव के सचिव झारखण्ड, राँची/ सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची तथा मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


25/10
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- वन्यप्राणी-03/2005 (खण्ड) 4940 / व०प०, राँची, दिनांक- 25/10/16

प्रतिलिपि-सानुलग्नक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य व संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सभी मुख्य वन संरक्षक, सभी वन संरक्षक, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची तथा संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/10
सरकार के प्रधान सचिव।